



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-04102025-266666

CG-OR-E-04102025-266666

XXXX/EXXX

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4296]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत नोटिस

का.आ. 4416(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विजयनगरम में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "कोत्तवलसा-विजयनगरम (34.70 किमी) के बीच चौथी लाइन" के निष्पादन के लिए आवश्यक है। आंध्र प्रदेश राज्य के किसी जिले में ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकता है।

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, विजयनगरम जिला "कोत्तवलसा-विजयनगरम (34.70 किमी) के बीच चौथी लाइन" को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके आधार बताए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी कानूनी व्यवसायी

के माध्यम से, तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में विशेष रेलवे परियोजना, " कोत्तवलसा-विजयनगरम (34.70 किमी) के बीच चौथी लाइन " के लिए संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) संलग्न है।

अनुग्रक- I

भूमि अनुसूची									
परियोजना का नाम: कोत्तवलसा-विजयनगरम के बीच चौथी लाइन (34.70 किमी)									
जिला : विजयनगरम									
क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या / एलपीएम संख्या	कुल क्षेत्र एकड़ में	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोत्तवलसा	दत्ती	1810	21.180	0.533	8.571	0.216	आर.सूखा	निजी भूमि
2	कोत्तवलसा	दत्ती	1812	46.080	0.250	18.648	0.101	आर.सूखा	निजी भूमि
3	कोत्तवलसा	दत्ती	218-2	2.910	0.099	1.178	0.040	सरकार बंजर	सरकारी भूमि
कुल (दत्ती)				70.170	0.882	28.397	0.357		

क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या / एलपीएम संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2441	0.270	0.093	0.109	0.038	आर.गीला	निजी भूमि
2	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2443	0.230	0.030	0.093	0.012	आर.गीला	निजी भूमि
3	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2444	0.140	0.039	0.057	0.016	आर.गीला	निजी भूमि
4	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2447	0.686	0.139	0.278	0.056	आर.गीला	निजी भूमि
5	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2449	0.460	0.088	0.186	0.036	आर.गीला	निजी भूमि
6	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2451	0.201	0.097	0.081	0.039	आर.गीला	निजी भूमि

7	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	2453	0.344	0.166	0.139	0.067	आर.गीला	निजी भूमि
8	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	31-2	0.440	0.124	0.178	0.050	सरकार बंजर	सरकारी भूमि
9	कोत्तवलसा	कटकपल्ली	34-2	0.510	0.416	0.206	0.168	सरकार बंजर	सरकारी भूमि
कुल (कटकपल्ली)				3.281	1.192	1.328	0.482		

क्रम सं.	गाँव का नाम	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)
1	दत्ती	0.882	0.357
2	कटकपल्ली	1.192	0.482
कुल		2.074	0.839

[फा. सं. CE/Con/I/VSKP /KTV-VZM 4th line/2 Village/20A]

अजय कुमार सामल, चीफ इंजीनियर (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

Notice under Section 20A of the Railways Act-, 1989

S.O. 4416(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to , is required for the execution of **Special Railway Project** , namely, “**4th line between Kottavalasa-Vizianagaram (34.70 Km)**” in **Vizianagaram** district in the state of **Andhra Pradesh**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely. **Spl. Land Acquisition Officer, Vizianagaram District “4th line between Kottavalasa-Vizianagaram (34.70 Km)”** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, “4th line between Kottavalasa-Vizianagaram (34.70 Km)” in Vizianagaram district in the state of Andhra Pradesh.

Annexure-I

LAND SCHEDULE									
Name of the Project: 4th line between Kottavalasa- Vizianagaram (34.70 Km)									
District : Vizianagaram									
Sl. No	Name of Mandal	Name of the Village	Survey Number / LPM No	Total Area in Acre	To be Acquired area (in Acre)	Total Area (in Ha)	To be Acquired area (in Ha)	Classification	Type of land
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kothavalasa	Datti	1810	21.180	0.533	8.571	0.216	R.Dry	Private Land
2	Kothavalasa	Datti	1812	46.080	0.250	18.648	0.101	R.Dry	Private Land
3	Kothavalasa	Datti	218-2	2.910	0.099	1.178	0.040	Sarkar Poramboku	Government Land
Total (Datti)				70.170	0.882	28.397	0.357		

Sl. No	Name of Mandal	Name of the Village	Survey Number / LPM No	Total Area in Acre	To be Acquired area (in Acre)	Total Area (in Ha)	To be Acquired area (in Ha)	Classification	Type of land
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kothavalasa	Katakapalli	2441	0.270	0.093	0.109	0.038	R.WET	Private Land
2	Kothavalasa	Katakapalli	2443	0.230	0.030	0.093	0.012	R.WET	Private Land
3	Kothavalasa	Katakapalli	2444	0.140	0.039	0.057	0.016	R.WET	Private Land
4	Kothavalasa	Katakapalli	2447	0.686	0.139	0.278	0.056	R.WET	Private Land
5	Kothavalasa	Katakapalli	2449	0.460	0.088	0.186	0.036	R.WET	Private Land
6	Kothavalasa	Katakapalli	2451	0.201	0.097	0.081	0.039	R.WET	Private Land
7	Kothavalasa	Katakapalli	2453	0.344	0.166	0.139	0.067	R.WET	Private Land
8	Kothavalasa	Katakapalli	31-2	0.440	0.124	0.178	0.050	Sarkar Poramboku	Government Land
9	Kothavalasa	Katakapalli	34-2	0.510	0.416	0.206	0.168	Sarkar Poramboku	Government Land
Total (Katakapalli)				3.281	1.192	1.328	0.482		

SL NO.	NAME OF THE VILLAGE	TO BE ACQUIRED AREA (IN ACRES)	TO BE ACQUIRED AREA (IN HECTARES)
1	Datti	0.882	0.357
2	Katakapalli	1.192	0.482
TOTAL		2.074	0.839

[F. No. CE/Con/I/VSKP /KTV-VZM 4th line/2 Village/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)